कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / STSF / 2017 / 112 भोपाल, दिनांक : 08.02.2017

प्रति,

01 समस्त, मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), म.प्र.
02 समस्त, क्षेत्र संचालक (प्रोजेक्ट टाइगर), म.प्र.
03 संचालक, माधव एवं वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र
04 मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सिंह परियोजना, ग्वालियर
05 समस्त, प्रभारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स,
इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, होशंगाबाद, म.प्र

विषयः— राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के संचालन संबंधित पुनरीक्षित दिशा निर्देश।

संदर्भ :— कार्यालयीन पत्र क्रमांक / संरक्षण / 102 / 1314 दिनांक 12 मार्च 2010.

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र से जारी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये संलग्न अनुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों पर विभिन्न चर्चाओं में राज्य शासन की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जा चुकी है। कृपया नवीन दिशा—निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई का संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

08/2/17
(जितेन्द्र अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.

क्रमांक / STSF / 2017 / 113 भोपाल, दिनांक : 08.02.2017

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के संचालन हेतु समय—समय पर राज्य शासन स्तर पर हुई चर्चाओं के आधार पर संलग्न पुनरीक्षित निर्देश जारी किये जा रहे हैं। राज्य शासन से इन निर्देशों के औपचारिक अनुमोदन का अनुरोध है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी सुरक्षा / बजट) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण / समन्वय), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी), पश्चिम क्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वनमंडलाधिकारी एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी, इंदौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर एवं सतना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी, वन्यप्राणी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

08/2/17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.

टाइगर स्ट्राइक फोर्स, (राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय) के संचालन संबधित निर्देश

1. **उद्देश्य**

टाइगर स्ट्राइक फोर्स, राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ–15–36/2007/10–2 दिनांक 12.12.2008. के अनुसार मुख्यतः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972, यथा संशोधित के अन्तर्गत अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश मे सूचना तंत्र (Intelligence Network) का विकास एवं संचालन करेगा तथा पुलिस, केन्द्रीय वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं अन्य संबंधित संस्थाओं से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय करेगा।

2. **रणनीति** यह ध्यान में रखते हुए कि –

1. बाघ व दूसरे वन्यप्राणियों के संरक्षण की चुनौतियों बढ़ती मानव आबादी और सिकुड़ते रहवासों के कारण इक्कसवीं सदी के पहले दशक में काफी तेजी से बढ़ी हैं।
2. बाघ व अन्य वन्य प्राणियों की खालों व अन्य अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी माँग होने के कारण इन वस्तुओं का कारोबार नशीली दवाओं के घातक कारोबार जैसे ही काफी संगठित तरीके से संचालित होने के संकेत हैं।
3. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निकट बसे गाँवों के निवासियों की आजीविका व दैनन्दिन समस्याओं के कारण वन्य जैव विविधता, विशेषकर मांसाहारी वन्यप्राणियों के संरक्षण के पक्ष मे जनमत का प्रायः अभाव पाया जाता है।
4. उपरोक्त तीनों कारणों के फलस्वरूप वन्यप्राणियों के शिकार की घटनाएँ यथासंभव होने के पहले ही पता लगाना अथवा घटित हो चुकने के बाद वन्यप्राणियों के शरीर के अवयवों के अवैध संग्रहण परिवहन अथवा खरीद/बिक्री पर कड़ी रोकथाम व अंकुश लगाना जरूरी है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की रणनीति इस प्रकार की रखी गई है जिसमें –

1. वन्यप्राणियों से संबंधित आपराधिक षडयंत्रों का पूर्वानुमान लगाकर शिकार होने से पहले ही रोका जा सके।
2. वन्यप्राणियों का शिकार होने के बाद उनके शरीर के अवयवों की तस्करी अथवा खरीद–बिक्री की घटनाओं पर पूरा अंकुश लगाया जा सके।
3. वन्य प्राणियों की अवयवों के व्यापार/तस्करी की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर निरंतर सतर्क नजर रखी जा सके।
4. वन्यप्राणियों का शिकार करने वाले आदतन अपराधी समुदायों, व्यक्तियों के संदिग्ध कार्यकलापों की निरंतर निगरानी की जा सके।
5. वन्य प्राणियों से संबंधित अपराधों पर कठोर नियंत्रण के लिए केन्द्र व राज्य शासन के संबंधित विभागों तथा अशासकीय संगठनों रो जानकारियों के त्वरित आदान–प्रदान की व्यवस्था बनाई जा सके।
6. वन्यप्राणी अपराधों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के त्वारित निराकरण में तेजी लाई जा सके।
7. संगठित एवं गम्भीर वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों का अन्वेषण कर, न्यायालय में शासन का ठोस पक्ष रखे, ताकि समाज में, लिप्त आरोपियों के विरूद्व कठोर सजा दिलाकर, संदेश दिया जा सकें।

3. **गठन/आदेश**

मध्य प्रदेश शासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ–15–36/2007/10–2 दिनांक 12.12.2008 द्वारा प्रदेश में बाघ एवं अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक **"राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स"** भोपाल में तथा उसके अधीनस्थ 5 क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्रमशः इन्दौर, जबलपुर, इटारसी, सागर तथा सतना में गठित किए गए है।

(R. P. Singh)
Add. Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife)
M.P. Bhopal

4. **कार्यक्षेत्र**

शासन के संदर्भित आदेश में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की विभिन्न इकाईयों के कार्यक्षेत्र निम्नानुसार नियत किए गए है:–

इकाई	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र (वन वृत्त)
राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स	भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर / सिवनी / बालाघाट / छिन्दवाड़ा
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर / उज्जैन / खण्डवा
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इटारसी	होशंगाबाद	भोपाल / होशंगाबाद / बैतूल
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सागर	सागर	सागर / शिवपुर / ग्वालियर
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सतना	सतना	रीवा / शहडोल / छतरपुर

उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्य क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र / टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र भी सम्मिलित रहेगा।

5. **स्वीकृत व कार्यरत पद**

1. मध्य प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक 12.12.2008. द्वारा पूर्व में स्थापित "एन्टी पोचिंग स्क्वाड" के स्थान पर 5 क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। अतः एन्टी पोचिंग स्क्वाड में कार्यरत् स्टाफ इन क्षेत्रीय इकाईयों में समाहित हो गया है। इसी आदेश में राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स हेतु नये पदों का सृजन किया जा चुका है।
2. राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय टाइगर फोर्स के प्रभावी ढंग से काम कर पाने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेज कर पदों का पुर्न आवंटन कराया जा रहा है।

6. **स्थापना प्रक्रिया**

टाइगर स्ट्राइक फोर्स की स्थापना जिन विशेष उद्देश्यों को लेकर की गई है उनकी पूर्ति के लिए योग्य, स्वस्थ, इच्छुक और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों / कर्मचारियों की पदस्थापना चयन के आधार पर की जायेगी। संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से इस बावत सहमति प्राप्त की जायेगी। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के मुख्यालय एवं इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों में पदस्थ होने वाले शासकीय सेवकों को टाइगर स्ट्राइक फोर्स में प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इस प्रकार किसी भी शासकीय सेवक की मूल वरीयता प्रभावित नहीं होगी। राज्य शासन से इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जा चुकी है।

7. **स्थापना हेतु अर्हता**

टाइगर स्ट्राइक फोर्स की राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय इकाईयों में पदस्थिति के लिए अर्हता का निर्धारण निम्न मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :–

(अ) **आयु** –

सूचना तंत्र विकसित करने हेतु भागदौड़ व त्वरित कार्यवाही के लिए फोर्स मे यथासंभव युवा अधिकारियों / कर्मचारियों को पदस्थ करने की प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न पदों पर पदस्थिति के समय निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा रहेगी :–

अ.क्र	पद	अधिकतम आयु
1	मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक	55 वर्ष
2	उप वन संरक्षक / सहायक वन संरक्षक	50 वर्ष
3	वनक्षेत्रपाल	40 वर्ष
4	उप वनक्षेत्रपाल / वनपाल	40 वर्ष
5	वनरक्षक	40 वर्ष

(R. P. Singh)
Add. Principal Chief Conservator
of Forest (Wildlife)
M.P. Bhopal

(ब) **मेडिकल फिटनेस** –

गंभीर रोगों से ग्रस्त अथवा भाग दौड़ कर पाने में असमर्थ लोगों को टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थिति की पात्रता नही रहेगी।

(स) **दक्षता व निष्ठा**

टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थिति के लिए दक्षता व निष्ठा का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सहायक वन संरक्षक तथा अधीनस्थ कार्यपालिक अमले के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को देखा जा सकता है तथा दण्डाविधि चल रहे होने की स्थिति में फोर्स में पदस्थिति नहीं की जा सकेगी।

8. पद स्थापना अवधि

टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ अमले की पदस्थापना सामान्यतः तीन वर्ष की रहेगी तथा इस दौरान इनका स्थानांतरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरांत संबंधित शासकीय सेवक की उपयुक्तता के आधार पर उनकी पदस्थिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुमति से पुनः तीन वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

9. प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था

म.प्र. शासन द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अधीन किया गया है। अतः राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय इकाईयों प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी म.प्र. के अधीन ही कार्य करेगी।

क्र.	टाइगर स्ट्राइक फोर्स	दल प्रभारी	नियंत्रणकर्ता
1	राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स	मुख्य वन सरंक्षक / वन संरक्षक / उप वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) के कार्यालय में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी सुरक्षा)
2	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर	सहायक वन संरक्षक	
3	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर	सहायक वन संरक्षक	
4	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इटारसी	सहायक वन संरक्षक	
5	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सागर	सहायक वन संरक्षक	
6	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सतना	सहायक वन संरक्षक	

1. उपरोक्तानुसार नियंत्रणकर्ता अधिकारी ही टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ प्रभारी शासकीय सेवकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखने के लिए भी सक्षम रहेंगे।
2. टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाइयों के प्रभारी अधिकारी का पद रिक्त होने पर किसी अन्य इकाई के ही प्रभारी अधिकारी को इसका प्रभार दिया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी सुरक्षा) के द्वारा लिखित में समय–समय पर आदेश जारी किया जायेगा।

10. अधोसंरचना

टाइगर स्ट्राइक फोर्स के संगठित और सक्षम संचालन के लिए कार्यालय व आवासीय भवनों का निर्माण किया जावेगा। इस हेतु वन मुख्यालय द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

11. उपकरण

टाइगर स्ट्राइक फोर्स में वन्य प्राणियों के शिकार में माहिर शातिर अपराधियों की नकेल कसने की क्षमता बनी रहे इसके लिए आधुनिकतम संचार प्रौद्योगिक, फोरेंसिक विज्ञान तथा अपराध अनुसंधान की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक होगा। इस दृष्टि से विविध प्रकार के फील्ड व कार्यालयीन उपकरण टाइगर स्ट्राइक फोर्स को उपलब्ध कराये जायेंगे।

इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव, प्राक्कलन आदि की कार्रवाई प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के मार्गदर्शन की जावेगी।

12. संचार

वन्यप्राणी अपराध संबंधी खुफिया सूचनाओं के त्वरित संचरण क साथ–साथ मौके पर यथाशीघ्र पहुँचने के लिए अच्छी हालत में वाहन व संचार साधनों को रखा जावें जिसमें वेन, कार, जीप मोटर साइकल आदि के क्रय हेतु औचित्य दर्शाते हुये संबंधित प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, प्रभारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल से चर्चा कर बजट मांग प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे।

13. शस्त्र

टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ सहायक वन संरक्षकों/वनक्षेत्रपालों के लिए रिवाल्वर तथा दल के अन्य सदस्यों के लिए बंदूके व अन्य सहायक सामाग्री की व्यवस्था आवश्यक है। इन शस्त्रों के लिए शस्त्रागार की विधिवत व्यवस्था फोर्स प्रभारी के कार्यालय में की जायेगी।

14. वाइल्ड लाइफ फील्ड किट

वन्यप्राणी प्रकरणों में त्वरित और त्रुटिरहित कार्यवाही के लिए प्राणियों अथवा उसके अवयवों की जानकारी होना, घटना स्थल से सबूत इकठ्ठे करना, फोरेंसिक जाँच के लिए तकनीकी जरूरतों के अनुसर नमूनों का संकलन आदि करने के लिए विविध उपकरणों की आवश्यकता होती है। अतः टाइगर स्ट्राइक फोर्स के लिए वाइल्ड लाइफ फील्ड किट की व्यवस्था संबंधित प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, प्रभारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल से चर्चा कर व्यवस्था करेंगे।

15. कार्यप्रणाली

टाइगर स्ट्राइक फोर्स की कार्यप्रणाली का निर्धारण मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 12.12.08 की कण्डिका 8 III में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। इस फोर्स की कार्यप्रणाली में खुफिया जानकारियों का संकलन व त्वरित कार्यवाही की क्षमता तैयार की जायेगी। इसके लिए विभिन्न स्तर के शासकीय सेवकों की भूमिकाएँ व उत्तदायित्व नियत करने तथा वांछित सतर्कता व चेतावनी तंत्र की रूपरेखा उक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा नियत की जायेगी। इन कार्यों में बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने तथा अंतर्राज्जीय/अंतर्राष्ट्रीय संवाद व सहयोग के लिए भी व्यवस्थाएं विकसित की जायेंगी। इस संबंध में वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा संबंधित प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स व प्रभारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल से चर्चा कर व्यवस्था की जायेगी।

16. कौशल उन्न्यन हेतु प्रशिक्षण व कार्यशालाएँ

टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों में टीम भावना, कर्तव्यनिष्ठा, तत्परता और निरंतर सजगता का भाव पैदा करने और उनके कौशल व अनुभव में वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु क्षमता वृद्धि गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। यद्यपि प्रशिक्षण की विषय वस्तु समय–समय पर उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होगी परन्तु प्राथमिक तौर पर जिन विषयों पर प्रशिक्षण व कार्यशालाएँ की जानी है वे निम्नानुसार हैं :–

- रणनीति तथा साझा सोच का विकास हेतु कार्यशालाएँ
- टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों हेतु विशेष वन्यप्राणी प्रशिक्षण
- सूचना तंत्र के विकास पर पुलिस के साथ कार्यशालएँ
- वन्यप्राणी अपराध प्रशमन में कम्प्यूटर उपयोग का प्रशिक्षण
- आधुनिक सूचना प्रोद्योगिकी तथा अपराध अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण

(R. K. Singh)
Add. Principal Chief Conservator
of Forest (Wildlife)
M.P. Bhopal

मानव संसाधन विकास की दृष्टि से तकनीकी ज्ञान तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों व संस्थाओं के अनुभवों से टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों को प्रशिक्षित कराया जायेगा। वन्यप्राणी संरक्षण से जुड़ी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क, समन्वय या सहयोग गतिविधियाँ संचालित करनी होगी। इस संबंध में वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा संबंधित प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स व प्रभारी राज्य, स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल से चर्चा कर व्यवस्था की जावेगी।

17. प्रोत्साहन

टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों का काम चुनौतिपूर्ण और जोखिम भरा है अतः उनके मनोबल को ऊचाँ रखने और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना को सशक्त करने के लिए राज्य शासन के उक्त आदेश दिनांक 12.12.2008 में मानदेय के रूप में प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

18. पारी से बाहर पदोन्नति

अन्य विभागीय शासकीय सेवकों की तरह टाइगर स्ट्राइक फोर्स में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को पारी बाहर पदोन्नति की पात्रता मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

19. बजट

टाइगर स्ट्राइक फोर्स की वित्तीय व्यवस्था वर्तमान में योजना क्रमांक 6349 से की जा रही है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक 12.12.2008 में उल्लेख अनुसार कैम्पा से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी।

20. आहरण एवं संवितरण अधिकार

राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं सभी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स को आहरण एवं संवितरण अधिकार दिये जा चुके हैं। इन इकाइयों के द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं पदस्थ अमले की संख्या को देखते हुए भविष्य में केवल राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार प्रभारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स को उप–संवितरक नियुक्त किया जा सकेगा।

वर्तमान में क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के मुख्यालय के वनमण्डलाधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा इन इकाइयों में पदस्थ अमले का वेतन एवं वेतन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स में उपलब्ध पदों की मैपिंग राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास होने तक क्षेत्रीय इकाइयों में पदस्थ अमले के वेतन भत्ते आदि का आहरण वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप जारी रहेगा।

21. अपेक्षित परिणाम

राज्य स्तरीय टाइगर फोर्स तथा क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाइयां मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.12.2008 की कण्डिका 8 III में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेंगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के स्तर का आंकलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र. एवं उपरोकत नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत किये जाने वाले मापदण्डों की आधार पर किया जायेगा।

(R. P. Singh)
Add. Principal Chief Conservator
of Forest (Wildlife)
M.P. Bhopal

22. वैधानिक अधिकारी

राज्य स्तरीय टाइगर फोर्स तथा क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी अधिकारियों को उनके निर्धारित कार्यक्षेत्रों के लिए वन्यप्राणी अभिरक्षक घोषित किया जायेगा एवं इस स्टॉफ को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु उचित अधिकार दिये जायेंगे।

23. अधिकारियों की भूमिकाएँ एवं उत्तदायित्व

(अ) राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स :

राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अंतर्गत पदस्थ शासकीय सेवकों के पदवार दायित्व निम्नानुसार रहेगे :

पद	दायित्व
नियंत्रणकर्ता अधिकारी	राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का प्रशासनिक नियंत्रण। अतंर्राज्जीय संवाद व समन्वय, सूचनाओं का समय–समय विश्लेषण व परीक्षण।
राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के दल प्रमुख	खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही के निर्देश जारी करना, अतंर्राज्जीय संवाद व समन्वय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर पुलिस, वन्यप्राणी अपराध ब्यूरों व अन्य विभागों तथा संस्थाओ से सतत सम्पर्क रखना। राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यो पर समुचित नियंत्रण रखना। क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स से तालमेल कर समीक्षा करना।
उप वन संरक्षक/ सहायक वन संरक्षक	वन्यप्राणी अपराध सूचनाओं का दैनन्दिन सकंलन। दल के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार कार्यो दैनन्दिन आवंटन। क्षेत्रीय दस्तो से तालमेल रखना। सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही क्षेत्रीय अमले के सहयोग से करना, अपराधों की जॉच, अपराधों की जॉच, अपराधियों को पकड़ने व नियंत्रण करने में क्षेत्रीय अधिकारियों को सहयोग करना वरिष्ठों अधिकारियों के निर्देशों की पालन करना।
वनक्षेत्रपाल	अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण। खुफिया सूचना तंत्र का विकास। दल प्रमुख के निर्देशा अनुसार वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण हेतु कार्यवाही करना। एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यवाही में मदद करना।
उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/ वनरक्षक	स्थानीय तौर पर खुफिया सूचना तंत्र के लिए मुखबिर तैयार करना। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

(ब) क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स :

पद	दायित्व
प्रभारी अधिकारी	वन्यप्राणी अवयवो की तस्करी/कारोबार करने वाले अपराधियों का इतिहास संधारित करना। वन्यप्राणी मुख्यालय में राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी से सतत् सम्पर्क रखना। क्षेत्रीय अधिकारियों को सहयोग करते हुये वन्यप्राणी अपराधों के नियंत्रणों में सहयोग करना
वनक्षेत्रपाल	खुफिया सूचना तंत्र का विकास अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण। दल प्रमुख के निर्देशानुसार वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कार्यवाही में मदद। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना
वनक्षेत्रपाल	अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण। खुफिया सूचना तंत्र का विकास। दल प्रमुख के निर्देशा अनुसार वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण हेतु कार्यवाही करना। एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यवाही में मदद करना।
उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/ वनरक्षक	स्थानीय तौर पर खुफिया सूचना तंत्र के लिए मुखबिर तैयार करना। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

(R. P. Singh)
Add. Principal Chief Conservator
of Forest (Wildlife)

उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त राज्य शासन, वन बल प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं उक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कोई दायित्वों का निर्वहन भी टाइगर स्ट्राइक फोर्स के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

24. **कार्य निष्पादन अंकेक्षण (Performance Audit)**

क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों द्वारा किए जा रहे काम में चुस्ती व सतर्कता बनाए रखने के लिए प्रतिमाह/त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस बावत् इन इकाइयों को वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रपत्रों में जानकारी नियत समय में भेजना अनिवार्य होगा।

08/2/17

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.